BHARAT COKING COAL LTD.

(A Subsidiary of Coal India Ltd.)
REGD.Office: KoylaBhawan, Koyla Nagar, Dhanbad-826005
CIN No.U10101JH1972GO1000918

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
BARORA AREA

पत्रांक– म.प्र./क्षेत्र-1/भू.स.वि./2024/ 1032 | दिनांक -25/09/2024

सेवा में,
वन प्रमंडल पदाधिकारी
धनबाद

विषय: मेसर्स बी०सी०सी०एल० की मुराईडीह कोलियरी परियोजना हेतु कुल 133.69 हे० (46.17 हे० वनभूमि एवं 87.52 हे० जंगल-झाड़ी) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में किए गए पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन जमा करने के संबंध में।

प्रसंग:

1. वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद का पत्रांक-437, दिनांक 17.02.2023
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड रांची का पत्रांक- 106, दिनांक: 03.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा बी०सी०सी०एल० बरोरा क्षेत्र के मुराईडीह कोलियरी परियोजना हेतु कुल 133.69 हे० वनभूमि (46.17 है० वनभूमि एवं 87.52 हे० जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड रांची द्वारा किए गए पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् है:

क्र. सं.	बिंदु	प्रतिवेदन
1.	विषयगत प्रस्ताव में जंगल झाड़ी भूमि का संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अप्राप्त है।	जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत कराने हेतु प्रस्ताव उपायुक्त, धनबाद द्वारा आयुक्त, हजारीबाग को दिनांक 03.08.2024 को भेजा गया था जिसमें उनके द्वारा दिनांक 16.08.2024 को कुछ बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन उपायुक्त, धनबाद द्वारा जमा किया जाना है।
2.	वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् FRA प्रमाण पत्र अप्राप्त है।	वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् FRA प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में बरोरा एवं बरमसिया मौजा में वन अधिकार समिति के गठन के लिए ग्राम सभा दिनांक 03.07.2024 को किया गया था। उसके पश्चात बरोरा मौजा के लिए ग्राम सभा दिनांक 13.08.2024 को किया गया एवं ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव में ग्राम सभा की अनुशंसा को सम्मिलित करते हुए FRA प्रस्ताव को उप-मंडल स्तरीय समिति को दिनांक 09.09.2024 को भेज दिया गया है।
3.	विषयगत प्रयोजना में जंगल झाड़ का रकबा 87.52 (51.96 हे० गैर-मजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि एवं 35.56 हे० रैयती जंगल-झाड़ भूमि) अपयोजन हेतु प्रस्तावित है जवकि उपायुक्त को प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक 2556 दिनांक 14.02.2020 द्वारा अनापत्ति हेतु भेजे गए अनुरोध पत्र में जंगल झाड़ी का रकबा 128.36 एकड़ (51.95 हे०) उल्लेखित है। प्रस्ताव के साथ संलग्न उपायुक्त के ज्ञापांक 1407 दिनांक 11.04.2022 में वर्णित है कि वर्ष 2005 में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु बनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है। इस भिन्नता कि स्थिति को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।	मुराईडीह वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में सम्मिलित 133.69 हे० वन भूमि में CS Record के हिसाब से 46.17 Ha अधिसूचित वन भूमि की श्रेणी में आता है एवं 87.52 हे० जंगल झाडी की श्रेणी में आता है (51.96 हे० गैर-मजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि एवं 35.56 हे० रैयती जंगल- झाड़ी भूमि)।

Scanned with OKEN Scanner

	पार्ट-11 के कडिका-110) में 47.62. हे० वन भूमि में Violation प्रतिवेदित है, जिसमें Violation के Period of work done में 5 वर्षों का उल्लेख है। परन्तु वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के स्थलीय निरिक्षण प्रतिवेदन में निम्नवत् प्रतिवेदित्त है "During the inspection it was found that earlier over burden of mining was dumped over the forest land. The User Agency has shown this is the submitted maps. According to the report submitted by the User Agency OB Dumping was done over 34.38 ha forest land and 74. 72 ha Jungle-Jhari land. After 1980 OB Dumping has been done over 11.27 ha forest land and after 1996 OB Dumping was done over 31.35 Ha of Jungle-Jhari land. User Agency has agreed to pay for the Penal Compensatory Afforestation". चूँकि वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के उपरोक्त प्रतिवेदनानुसार भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना 1980 के बाद OB Dumping हेतु 11.27 हे0 वन भूमि एवं 1996 के बाद OB Dumping हेतु 31.35 हे० जंगल-झाड़ी भूमि कुल 42.62 हे० वन भूमि में कार्य किया गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक द्वारा Violation हेतु प्रतिवेदित रकबा में भी विरोधाभाष है।	प्रतिवेदित है एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना 1980 के बाद OB Dumping हेतु 11.27 हे0 वन भूमि एवं 1996 के बाद OB Dumping हेतु 31.35 हे० जंगल-झाड़ी भूमि (कुल 42.62 हे० वन भूमि) में कार्य किया गया है। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि OB Dumping का कार्य 11.27 हे० अधिसूचिंत वन भूमि पर (वर्ष 1980 के बाद) एवं 36.35 हे० जंगल झाडी भूमि पर (वर्ष 1996 के बाद) भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना किया गया है। User Agency ने Penal Compensatory Afforestation का भुगतान करने को स्वीकृत किया है एवं इसके लिए Undertaking जमा किया है।
5.	क्षतिपूरक वन रोपण हेतु मौजा-मकराटांड एवं उदयपुर में वन प्रमण्डल पदाधिकारी के उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं स्थल विशिष्ट योजना प्राक्कलन एवं DGPS map में अंकित प्लॉट में भिन्नता है।	आवश्यक सुधार कर PARIVESH portal पर upload कर दिया गया है ।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड की गयी map of the outer boundary of mining lease KML का area 720.00 ha and applied forest area 133.69+ non forest area 584.02 ha=717.71 ha में भिन्नता है।	आवश्यक सुधार कर PARIVESH portal पर upload कर दिया गया है ।

भवदीय

महाप्रबंधक
बरोरा क्षेत्र, बीसीसीएल

Scanned with OKEN Scanner